SUMMARY THRIAN UNDER SECTION 263 **OR** 264 **OF THE CRIMINAL PORCEDURE CODE,** 1898.

In the Court of Smt. Roopali Uikey, Judicial Magistrate First Class, Sausar, Dist. Chhindwrar (M.P.)

Case No. 575/2022 **Complaint or report made on** ..16-09-2022.

Name and address of the complaint मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केंद्र .लोधीखेडा

Name, parentage, caste and address of accused

अभियुक्त - बारकोराव पिता बाजीराव उइके उम्र 55 साल निवासी बोरगांव थाना लोधीखेडा जिला छिन्दवाडा ।

The office complained of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 16-09-2022 को समय लगभग 18-30 बजे आरक्षी केंद्र थाना लोधीखेडा अंतर्गत गोंडी मोहल्ला बोरगांव थाना लोधीखेडा जिला छिन्दवाड़ा में एक प्लास्टिक की कुप्पी मे करीब 07 लीटर कच्ची महुआ शराब को अवैध रुप से आधिपत्य में रखा या उसका परिवहन, आयात या निर्यात किया?

इस प्रकार अभियुक्त आपने धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, के अधीन दंडनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है, क्या आपको अपराध स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हैं ?

20/10/22

(श्रीमती रुपाली उइके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सौंसर, जि.छिंदवाड़ा

The plea of the accused and his examination (if any)-

अभियुक्त को अपराध की विशिष्टयां पढ़कर सनाये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि:-

अपराध स्वीकार है

20/10/22

(श्रीमती रुपाली उइके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सौंसर, जि.छिंदवाड़ा

The office proved, if any, and in case under clause (d), clause (e), clause(f) or clause (g), or subsection (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offecnce has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक 20-10-2022 को घोषित)

11) अभियुक्त के विरुद्ध म०प्र० आबकारी अधि० की धारा 34(1)(क) के अधीन दंडनीय पृष्ठांकित विशिष्टियों के अपराध का आरोप है ।

12) अभियुक्त को उसके द्वारा की गई स्पष्ट स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, के अंतर्गत दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है ।

13) अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी का कोई प्रमाण प्रकरण में संलग्न नहीं है, परंतु उसके द्वारा कारित अपराध का संबंध मानव स्वास्थ्य और राज्य के आर्थिक हितों से है । अतः उसे अपराधी परिवीक्षा अधि० के उपबंधों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता ।

14) अभियुक्त को म०प्र० आबकारी अधि० की धारा 34(1)(क) के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप मे 700_- /रु० कुल शब्दों में- सात सौ रुपए के अर्थदंड से एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है । अर्थदंड के भुगतान के व्यतिक्रम में उसे 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जाए ।

15) **प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 07 लीटर कच्ची महुआ शराब मुल्यहीन होने से नष्ट की जावे।**

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित
हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
पारित किया गया ।

20/10/22

श्रीमती रुपाली उइके
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सौंसर जिला छिंदवाड़ा

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया

20/10/22

श्रीमती रुपाली उइके
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सौंसर जिला छिंदवाडा